परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 3 मार्च 2015 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	3 अगस्त 13
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	25 सितम्बर 14

परियोजना का नाम	ग्रामीण शिक्षा परियोजना
ऋणी/इक्विटी निवेश नाम	हिप्पोकैम्पस शिक्षार्जन केन्द्र
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	47922-014
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

क्षेत्र	शिक्षा
उपक्षेत्र	अनौपचारिक शिक्षा पूर्व–प्राथमिक और प्राथमिक
रणनीतिक कार्यसूची	समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी)
परिवर्तन के प्रेरक	लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण (जीईएम) निजी क्षेत्र विकास (पीएसडी)
लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग	संवर्ग 2 : कारगर लैंगिक मुख्यधारीकरण (ईजीएम)
परियोजना प्रायोजक	हिप्पोकैम्पस शिक्षार्जन केन्द्र लिमिटेड

■ वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
निजी क्षेत्र	7405	प्रत्यक्ष निवेश (परक्रामणाधीन दस्तावेज)	यूएस$ 2,000
योग			-

■ पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण–पहलू

पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पूर्वानुमानित नहीं है। एचएलसी ग्राम के भीतर विद्यमान सुविधाएं पट्टे पर लेती है तथा अपने शिक्षार्जन केन्द्रों का निर्माण नहीं करती है। एचएलसी सभी शिक्षार्जन केन्द्रों में स्वच्छ टॉयलेट सुविधाएं तथा जल आपूर्ति मौजूद होने और उपयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में सहायता करेगी। एचएलसी एडीबी की प्रतिबंधित निवेश गतिविधियां सूची लागू करेगी तथा परियोजना में लागू राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के साथ एडीबी के सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य (2009) का पालन सुनिश्चित करेगी।

अस्वैच्छिक पुनर्वास

परियोजना में भूमि का कोई अस्वैच्छिक अधिग्रहण अथवा क्रय नहीं किया जाएगा और कोई भौतिक या आर्थिक विस्थापन भी नहीं किया जाएगा। एचएलसी द्वारा ग्रामों में कार्यों के लिए उपयुक्त विचारित विद्यमान सम्पत्तियों के स्वामियों के साथ पट्टा अनुबंध किए जाएंगे। एचएलसी इसके शिक्षार्जन केन्द्रों में अध्यापन एवं संचालन के लिए स्थानीय समुदायों से महिलाओं की नियुक्ति करती है। यह चयन विधि स्थानीय महिलाओं के आवागमन की समस्या को संबोधित करती है, जिनके लिए ग्रामीण परिवेश में आय के बहुत सीमित विकल्प होते हैं। शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए स्थानीय महिलाओं को अध्यापक के रूप में प्रशिक्षित एवं नियुक्त करने के निर्णय के वाणिज्यिक लाभ भी होते हैं। पुरूष अध्यापकों के मुकाबले महिला अध्यापकों की अनुपस्थिति दर कम होती है। निवेश को कारगर लैंगिक मुख्यधारीकरण (ईजीएम) के संवर्ग में रखा गया है।

स्वदेशी लोग

एचएलसी कर्नाटक और तमिलनाडु में शिक्षार्जन केन्द्र प्रचालित करेगी, जहां अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत बहुत कम है। एचएलसी अपने शिक्षार्जन केन्द्रों में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के भाग लेने को न तो प्रोत्साहन देती है और न ही भेदभाव करती है।

■ स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

–

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

–

विवरण

हिप्पोकैम्पस शिक्षार्जन केन्द्र (एचएलसी) एक जोखिम पूंजी समर्थित कम्पनी है जो ग्रामीण भारत में 3–12 वर्ष आयु के बच्चों के लिए विद्यालय–पूर्व तथा विद्यालयोत्तर कोचिंग कार्यक्रम संचालित करती है। एचएलसी ने शिक्षार्जन के निर्धारित परिणामों पर फोकस वाली अनुपूरक शिक्षा पाठ्यचर्या प्रदान करने के लिए एक कम–लागत वाली प्रणाली विकसित करने द्वारा शिक्षार्जन परिणामों के सुधार हेतु एक नए मॉडल में अग्रता हासिल की है। एचएलसी ग्रामीण भारत में शिक्षार्जन केन्द्र संचालित करती है जो विद्यालय–पूर्व तथा विद्यालयोत्तर दोनों कार्यक्रम ऑफर करते हैं। हर केन्द्र का संचालन स्थानीय समुदाय की महिला अध्यापक द्वारा किया जाता है। विद्यालय पूर्व कार्यक्रम एक 3 वर्षीय कार्यक्रम है, जबकि विद्यालयोत्तर कार्यक्रम 1 से 6 तक ग्रेड के लिए है। 2012–2013 में एचएलसी द्वारा 78 केन्द्र परिचालित किए गए जिनमें 3,000 से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की गई। एचएलसी अपने स्वयं के केन्द्रों के अलावा ग्रामीण सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों में भी प्रबंधन संविदा आधार पर विद्यालय पूर्व कार्यक्रम भी संचालित करती है। इन भागीदारियों के तहत, एचएलसी कार्यक्रम भागीदार स्कूलों के मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। एचएलसी अध्यापकों को प्रशिक्षित करती है, अध्यापक सत्र योजनाएं तथा विद्यार्थी सामग्री उपलब्ध कराती है।

उद्देश्य और संभावनाएं

इस परियोजना से ग्रामीण कर्नाटक और तमिलनाडु में 3–11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किफायती विद्यालय पूर्व तथा विद्यालयोत्तर कार्यक्रमों तक पहुंच में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्री–स्कूलों की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बच्चे 5–6 वर्ष की आयु तक ग्रेड 1 मे नामांकन के समय तक उनके ज्ञेय कौशल के विकास अथवा साक्षरता के माहौल के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। इसके फलस्वरूप वे शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज्ञेय और सामाजिक योग्यता में महत्वपूर्ण रूप से पिछड़ जाते हैं। एचएलसी का उद्देश्य उनके विद्यालय पूर्व कार्यक्रमों में शिक्षार्जन परिणामों पर फोकस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के लिए बेहतर रूप से तैयार करना है।

परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

यह निवेश एडीबी की रणनीति 2020 के अनुरूप है। एडीबी, इसके समावेशी आर्थिक विकास की रणनीतिक कार्यसूची के तहत, शिक्षा में निवेश सहायता के लिए प्रतिबद्ध है, जो विशेष रूप से गरीबों और महिलाओं के लिए लाभप्रद है। यह परियोजना भारत सीपीएस (2013–2017) के साथ भी सुसंगत है, जो शिक्षा गतिविधियों का सहायक है। लैंगिक समानता रणनीति 2020 में चिन्हित पांच प्रेरकों में एक है। 2020 तक शिक्षा – सेक्टर कार्य योजना के अनुसार, एडीबी शिक्षा सेक्टर को निजी निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सेवा प्रदायगी तथा वित्तपोषण के नए और नवोन्मेषी मॉडलों के उपयोग हेतु प्रतिबद्ध है। यह निवेश लैंगिक समानता और महिला अधिकारिता कार्य योजना 2013–2020 के साथ भी सुसंगत है जो गैर–स्वायत्त प्रचालनों में लैंगिक मुख्यधारीकरण को प्रोत्साहन देती है तथा अन्य के अतिरिक्त निजी पहलों को सहायता प्रदान करती है, जो महिला रोजगार एवं उद्यमिता में सहायक हैं।

विकास प्रभाव

–

■ आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
–	–
विकास परियोजनाओं की स्थिति	कार्य/निर्माण की स्थिति
लागू नहीं	–
महत्वपूर्ण परिवर्तन	–
लागू नहीं	

■ व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	–
परामर्शी सेवाएं	
–	
प्रापण और परामर्शी सूचनाएं	
–	

■ समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	5 अगस्त 13
तथ्य–अन्वेषण	01 जनवरी 1970
निवेश समिति बैठक	24 फरवरी 14
अनुमोदन	11 अप्रैल 14

■ मीलपत्थर

अनुमोदन संख्या	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभावोत्पादकता	अनुमोदन समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
–	–	–	–	–	–	–

सम्पर्क और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	अनिरूद्ध वी. पाटिल (apatil@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	निजी क्षेत्र कार्य विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त प्रभाग 1

सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/47922-014/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/47922-014/documents